I/246429/2022

ई–मेल / फैक्स
समयबद्ध / आवश्यक
संख्या–180 / छः–पु–2–2022–1100(14) / 2016टीसी
Computer No: 856477 **File No:** 6-2007(001)/2/2020

प्रेषक,

राकेश कुमार मालपाणी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक 12 दिसम्बर, 2022

विषय–लखनऊ मेट्रो की सुरक्षा व्यवस्था हेतु स्वीकृत पदों को एक समान मानक किये जाने हेतु पूर्व स्वीकृत पदो के अतिरिक्त विभिन्न श्रेणी के पदो के सृजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश के पत्र सं0–3 / क–171–2016, दिनांक 03.09.2020 एवं पत्र सं0–3 / क–171–2016, दिनांक 30.09.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नोएडा मेट्रो एवं लखनऊ मेट्रो की सुरक्षा व्यवस्था हेतु स्वीकृत पदों को एक समान मानक के अनुसार किये जाने के सम्बन्ध में लखनऊ मेट्रो की सुरक्षा व्यवस्था हेतु पूर्व में शासनादेश सं0: 01 / 2019 / 1330 / छः–पु–2–2019 –1100(14) / 2016टीसी, दिनांक 26.09.2019 द्वारा स्वीकृत विभिन्न श्रेणी के 433 पदों के अतिरिक्त 110 विभिन्न श्रेणी के और अतिरिक्त पदों को सृजित किये जाने का प्रस्ताव शासन को संदर्भित किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के कम में सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित तालिका–1 में उल्लिखित पदों को सृजित किये जाने का निर्णय लिया गया है तथा तालिका–2 में अंकित पदों को उनके सम्मुख अंकित स्थिति के अनुसार सृजन का औचित्य नहीं पाया गया है:–

तालिका–1

क्र0सं0	पद नाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या
1–	उ0नि0 लिपिक	4200 / –(35400–112400) / लेवल–6	01
2–	ए0एस0आई0(एम) लिपिक	2800 / – (29200–92300) / लेवल–5	01
3–	ए0एस0आई0 (एम) लेखा	2800 / – (29200–92300) / लेवल–5	01
	योग–		03

तालिका–2

क0	कार्य / प्रयोजन / पद	औचित्य
1	2	3
(1)–	डिपो सुरक्षा टावर–	डिपो सुरक्षा टावर हेतु कोई पद पूर्व में नहीं मांगे गये थे, जबकि अब नोएडा मेट्रो की भाँति 03 मुख्य आरक्षी व 09 आरक्षी के पद स्वीकृत किये जाने की मांग की गई है।पदों का सृजन मुख्य रूप से कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत ही किया जाता है। मात्र नोएडा मेट्रो हेतु पद स्वीकृत होने के दृष्टिगत समानता के आधार पर लखनऊ मेट्रो हेतु मांग की गयी है किन्तु कार्यात्मक आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं होने के कारण उक्त पद सृजन करने का औचित्य नहीं है।
(2)–	बीडीडीएस / ए0एस0 चेक टीम–	पूर्व में लखनऊ मेट्रो हेतु बीडीडीएस–03 टीम के लिए Head-Const-6, Const–12, कुल–18 पद स्वीकृत किये गए हैं। वर्तमान में प्रति टीम हेतु 01 अर्थात 03 टीम हेतु कुल 03 PC के पद बीडीडीएस प्रभारी के रूप में माँगे गये है जबकि पूर्व में उस सम्बन्ध में प्रस्ताव नहीं किया गया था। लखनऊ में पीएसी की बटालियन तथा वीवीआईपी की सुरक्षा हेतु भी बीडीडीएस की जनशक्ति उपलब्ध है। अतः पूर्व में इसकी मांग न किये जाने तथा लखनऊ में उपलब्ध बीडीडीएस की जनशक्ति का ही मेट्रो हेतु आवश्यकतानुसार उपयोग किया जाए। इस क्रम में उक्त पद सृजन करने का औचित्य नहीं है।
(3)–	उप सेनानायक	सम्प्रति लखनऊ मेट्रो हेतु सृजित कुल पद 433 हैं जो कि पी0ए0सी0 01 वाहिनी के लिए आवश्यक 1278 पद के लगभग एक तिहाई हैं। वर्तमान में यूपीएसएसएफ के गठन के फलस्वरूप लखनऊ में लखनऊ मेट्रो के अतिरिक्त लखनऊ हाईकोर्ट खण्ड पीठ तथा जिला न्यायालय लखनऊ के लिए भी सुरक्षा दी जानी है। इसके लिए प्रथम चरण में पांच बटालियन हेतु लखनऊ व नोएडा मेट्रो हेतु सृजित कुल 814 पदों के अतिरिक्त 5124 पद सृजित किये गये हैं। उक्त के दृष्टिगत पर्यवेक्षणीय दायित्वों हेतु लखनऊ में पीएसी की जनशक्ति तथा यू0पी0एस0एस0एफ0 की उपलब्ध जनशक्ति का उपयोग किया जा सकता है। लखनऊ मेट्रो हेतु पी0ए0सी0 की वाहिनी की भाँति पृथक से उप सेनानायक का पद सृजन का औचित्य प्रतीत नही होता है।
(4)–	सहायक सेनानायक	सम्प्रति लखनऊ मेट्रो हेतु सृजित कुल पद 433 एक पी0ए0सी0 वाहिनी के लिए आवश्यक 1278 पद के लगभग एक तिहाई हैं। वर्तमान में यूपीएसएसएफ के गठन के फलस्वरूप लखनऊ में लखनऊ मेट्रो के अतिरिक्त लखनऊ हाई कोर्ट खण्ड पीठ तथा जिला न्यायालय लखनऊ के लिए भी सुरक्षा दी जानी है। इसके लिए प्रथम चरण में पांच बटालियन हेतु लखनऊ व नोएडा मेट्रो हेतु सृजित कुल 814 पदों के अतिरिक्त 5124 पद सृजित किये गये हैं। उक्त के दृष्टिगत पर्यवेक्षणीय दायित्वों हेतु लखनऊ में पीएसी की जनशक्ति तथा यू0पी0एस0 एस0एफ0 की उपलब्ध जनशक्ति का उपयोग किया जा सकता है। अतः लखनऊ मेट्रो हेतु पी0ए0सी0 की वाहिनी की भाँति पृथक से सहायक सेनानायक के पद के सृजन का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

(5)–	कंपनी कमाण्डर	प्रत्येक 04 स्टेशनों पर 01 कम्पनी कमाण्डर की दर से स्टेशन कर्तव्य हेतु 05 पदों के सृजन की मॉग की गई है। उल्लेखनीय है कि मेट्रो का स्वरूप पीएसी की बटालियन की तरह नहीं है। पद की मांग पदोन्नति के अवसर को ध्यान में रख कर की गई प्रतीत होती है। पदों का सृजन कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत किया जाना चाहिए। अतः मेट्रो के कार्य तथा पीएसी की बटालियन के स्ट्रक्चर में भिन्नता के कारण पूर्व में कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार की गई मॉग के दृष्टिगत कम्पनी कमाण्डर का 01पद सृजित कर दिये जाने के फलस्वरूप अतिरिक्त पद सृजित किए जाने का औचित्य नहीं है।
(6)–	मुख्य आरक्षी	मेट्रो की स्वीकृति जनशक्ति पीएसी की 04 कम्पनी के बराबर पीएसी संरचना के अनुसार विभिन्न प्रकार के 16 पदों के संबंध में अवगत कराया गया है कि उक्त आवश्यकता PAC की बटालियन तथा उनकी कम्पनियों की व्यवस्थानुसार मांगी गई है। सम्भवतः पदोन्नति के अवसर बढ़ाये जाने के दृष्टिगत उक्त पदों के सृजन का प्रस्ताव किया गया है। किसी संगठन हेतु पदों का सृजन उसकी कार्यात्मक आवश्यकता हेतु किया जाता है। लखनऊ मेट्रो हेतु पदों की आवश्यकता PAC की बटालियन या उसकी कम्पनी की आवश्यकताओं से भिन्न है। अतः पूर्व में भी मुख्य आरक्षी के उक्त पदों की मांग न किये जाने के दृष्टिगत अब उक्त पदों का सृजन किया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। उक्त के अतिरिक्त लखनऊ मेट्रो की सुरक्षा हेतु तृतीय पारी के लिए पर्यवेक्षण हेतु कुल 21 स्टेशनों हेतु कुल 21 HC के पद मांगे गये हैं। उल्लेखनीय है कि रात्रि में मेट्रो संचालन नहीं होता है। उक्त के दृष्टिगत रात्रि पाली में प्रत्येक स्टेशन पर 02 आरक्षी के पद स्वीकृत किये गये हैं। सम्भवतः पदोन्नति के अवसर बढाये जाने के दृष्टिकोण से प्रस्ताव किया गया है। कार्यात्मक आवश्यकता न होने के दृष्टिगत तीसरी पाली में रात्रि में मुख्य आरक्षी की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है, अतएव उक्त पदो के सृजन का औचित्य नहीं है।
(7)–	आरक्षी	कोत मुन्शी के–04, जी0डी0 लेखक–04, मेस मुन्शी–04, मेजर मुन्शी–04, कम्पनी हेड क्लर्क सहायक–04 अर्थात आरक्षी के कुल 20 पदो की आवश्यकता पीएसी की 04 कम्पनी की सरचना के दृष्टिकोण से बतायी गई है। उक्त पदों हेतु पूर्व में कोई मांग नहीं की गई थी। अब PAC की 04 कम्पनी की भांति इनकी मांग की गई है। जबकि मेट्रो की सुरक्षा का कार्य इसके भिन्न हैं। मेट्रो के पदों का सृजन मेट्रो की कार्यात्मक आवश्यकतानुसार किया गया है। अतः उक्त पदों के सृजन का औचित्य नहीं है।
(8)–	चतुर्थ श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी के 16 और पदो की मॉग की गई है।पूर्व में चतुर्थ श्रेणी के 48 पदों की मांग के सापेक्ष अर्दली व कुक/कहार के 20 पदों को नियमित वेतनमान में तथा नाई,धोबी तथा स्वीपर के 18 पदों के समतुल्य आउटसोर्स से कार्य लिए जाने हेतु पहले ही स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। अत लखनऊ मेट्रो हेतु उक्त सीमा तक ही चतुर्थ श्रेणी के कार्य लिया जाना समीचीन होगा। अन्य पदो के सृजन का औचित्य नही है।
(9)–	प्रशिक्षण/लीव रिजर्व	लखनऊ मेट्रो की सुरक्षा हेतु 15 के अनुसार लीव रिजर्व के 49 पद स्वीकृत किए गये हैं, जिसमें PC–08, C–41 हैं, अतः 15 लीव रिजर्व की पर्याप्त जनशक्ति के दृष्टिगत अतिरिक्त पद सृजन किए जाने का औचित्य नहीं है।

3– उक्त आदेश वित्त विभाग से प्राप्त उनकी सहमति अशासकीय सं0–E–12–314–

X–2022–23, दिनांक 09.11.2022 के कम में निर्गत किया जा रहा है।

4– कृपया तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राकेश कुमार मालपाणी)
विशेष सचिव।

Signed by राकेश कुमार मालपाणी
Date: 28-11-2022 16:24:22
Reason: Approved

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी मुख्यालय, लखनऊ।
3. पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि0, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी, लखनऊ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–12
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(राकेश कुमार मालपाणी)
विशेष सचिव।